न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण, झाँसी

	पंजीकरण दिनॉक:	निर्णय दिनॉक:	अवधि:
पीठासीन: चंद्रोदय कुमार एच.जे.एस.	07/20/17	03/22/21	3 वर्ष, 8 माह, 2 दिन

MACP No. 310/2017

श्रीमती सुमित्रा पत्नी श्री कल्लू, आयु 45 वर्ष, निवासी- मोहल्ला रोतयाना, थाना-सकरार, जिला-झाँसी

---------याची

प्रति

1. धर्मेन्द्र पुत्र श्री सुल्ली उर्फ ठाकुरदास, निवासी-भरारी, झाँसी मूल निवासी- ग्राम भिटौरा, पोस्ट लुहारी, थाना-सकरार, तहसील-मऊरानीपुर, झाँसी

..........स्वामी वाहन संख्या- UP93BT0473

2. भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि०, मालरोड 6th फ्लोर, मेघामाल, कानपुर

.........बीमाकर्ता वाहन संख्या- UP93BT0473

3. आत्माराम पुत्र श्री गुलई, निवासी- ग्राम छिरौरा, तहसील-गरौठा, जिला-झाँसी

........चालक वाहन संख्या- UP93BT0473

---------विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता- श्री सुभाष चन्द्र राय
विपक्षी संख्या एक एवं तीन के अधिवक्ता- श्री इन्द्रपाल सिंह
विपक्षी संख्या दो के अधिवक्ता- श्री दीपक श्रीवास्तव

निर्णय

याची की ओर से यह याचिका मोटर वाहन दुर्घटना मे कला देवी की मृत्यु हो जाने के कारण विपक्षीगण के विरुद्व धारा 163A मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत ₹13,10,000 प्रतिकर एवं उस पर 12% वार्षिक दर से ब्याज दिलाये जाने हेतु योजित की गयी है।

2. याचिका के अनुसार संक्षेप मे प्रकरण यह है कि दिनाँक 25.5.2017 को याची श्रीमती कला, श्रीमती चिरौंजी एवं चिनू के साथ टैम्पू संख्या UP93BT0473 में बैठकर सकरार से सेंदरी जा रही थी तभी समय करीब 4:00 बजे शाम सकरार पुलिया से आगे, पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने टैम्पू में टक्कर मार दी जिससे श्रीमती कला देवी नीचे गिरकर कुचल गयी और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी तथा याची एवं अन्य गम्भीर रुप से घायल हो गये। प्रश्नगत वाहन टैम्पू का चालक अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चला रहा था, उसे मना भी किया गया परन्तु वह नहीं माना। कथित घटना के समय याची 45 वर्षीय मजदूर महिला थी जो मजदूरी करके ₹3,000 प्रतिमाह आय अर्जित कर लेती थी परन्तु कथित घटना गम्भीर रुप से घायल हो जाने के कारण अब याची मजदूरी नहीं कर पा रही है।

3. विपक्षी संख्या एक की ओर से जवाबदावा 17B दाखिल कर घटना घटित होने के तथ्य को स्वीकार करते हुये अतिरिक्त-कथन में कहा गया है कि कथित घटना के दिनाँक को प्रश्नगत वाहन टैम्पो को उसका चालक आत्माराम चला रहा था। दिनाँक 24.05.2017 को विपक्षी के बच्चों की तबियत खराब हो जाने के कारण वह उन्हे देखने के लिए भिटौरा आया था और उनकी देखभाल के लिए वहीं रुक गया तथा दूसरे दिन 25.05.2017 को चालक वाहन को लेकर झाँसी आ रहा था तभी रास्ते में सकरार में कुछ महिलायें खडी मिलीं और उन महिलाओं ने चालक से आग्रह किया कि उन्हे निवाड़ी छोड दें तो चालक ने उन्हे वाहन पर बैठा लिया व वाहन को धीमी गति से अपनी साइड पर चलाता हुआ जा रहा था तभी समय करीब 4:00 बजे शाम सकरार पुलिया के आगे पीछे से अज्ञात वाहन जिसका चालक वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ आया और विपक्षी के वाहन में टक्कर मार दी जिस कारण एक महिला नीचे सड़क पर गिर गयी और उक्त अज्ञात वाहन का पहिया महिला के सिर को कुचलता हुआ निकल गया, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी व अन्य महिलाओं को चोटें आयीं थीं। कथित घटना में उसके वाहन चालक की कोई तेजी व लापरवाही नहीं है। कथित घटना के दिनाँक व समय पर प्रश्नगत वाहन विपक्षी संख्या दो बीमा कम्पनी में विधिवत रुप से बीमित था तथा उसके चालक आत्माराम के पास उक्त वाहन को चलाने का वैध लाइसेंस था। घटना के समय वाहन के समस्त प्रपत्र वैध थे। यदि न्यायालय की राय में याची को किसी प्रतिकर पाने योग्य पाया जाता है तो उसकी अदायगी का दायित्व विपक्षी बीमा कम्पनी पर है।

4. विपक्षी संख्या दो भारती एक्सा जनरल इंश्याोरेंस कम्पनी लिमि० की ओर से प्रतिवाद पत्र 30B दाखिल कर याचिका में वर्णित कथनों का खण्डन करते हुये अतिरिक्त कथन में कहा गया है कि याची ने वर्तमान याचिका मनगढ़न्त कहानी बनाकर झूठे तथ्यों के आधार पर केवल प्रतिकर पाने के आशय से योजित की है। याची ने कथित घटना के समय अपनी आय एवं आयु गलत दर्शित की है। याची ने प्रतिकर की राशि अत्याधिक बढ़ा-चढ़ा कर दर्शित की है। प्रश्नगत वाहन टैम्पो के स्वामी ने कथित घटना की सूचना बीमा कम्पनी को नहीं दी है [illegible] के समस्त प्रपत्र ही प्रस्तुत किये हैं। कथित घटना के समय टैम्पो के चालक के पास [illegible] लाने का वैध

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.03.22 15:31:08 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.06.17 15:03:12 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi

लाइसेंस नहीं था। विपक्षी बीमा कम्पनी को सम्बन्धित थाना- सकरार द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अन्य प्रपत्र नहीं दिये हैं। याची ने प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा नजरी, आरोप पत्र, इंजरी रिपोर्ट आदि प्रपत्र दाखिल नहीं किये हैं। अत: याची की याचिका निरस्त की जाये।

5. विपक्षी संख्या तीन आत्माराम की ओर से प्रतिवाद पत्र 28B दाखिल कर याचिका में वर्णित कथित घटना के तथ्यों के संबंध मे कथन किया है कि घटना के समय विपक्षी प्रश्नगत वाहन को तेजी व लापरवाही से नहीं चला रहा था बल्कि बड़ी सावधानी एवं नियंत्रित गति से चला रहा था परन्तु पीछे से अज्ञात वाहन द्वारा उसके वाहन में टक्कर मार दिये जाने के कारण कथित घटना घटित हुई थी। कथित घटना के समय उसके पास उक्त वाहन को चलाने का वैध लाइसेंस था।

6. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये गये।

1. क्या दिनाँक 25.05.2017 को समय 4.00 बजे शाम, सकरार पुलिया के आगे, झाँसी मऊरानीपुर मार्ग पर, ग्राम सकरार, जिला- झाँसी में टेम्पो संख्या UP93BT0473 के चालक द्वारा उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाते हुये अज्ञात वाहन में टक्कर मार दी, जिससे वाहन संख्या UP93BT0473 में बैठी याची श्रीमती सुमित्रा को गम्भीर चोटें आई ?

2. क्या प्रश्नगत दुर्घटना दिनाँक व समय पर टैम्पो संख्या UP93BT0473 के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था ?

3. क्या प्रश्नगत वाहन दुर्घटना दिनाँक व समय पर टैम्पो संख्या UP93BT0473 को विपक्षी संख्या दो बीमा कम्पनी से विधिवत बीमित था ?

4. क्या याची विपक्षीगण से प्रतिकर की धनराशि पाने की हकदार है, यदि हां तो कितनी व किससे ?

7. अपने कथनों के समर्थन में याची की ओर से स्वंय को PW1 के रुप में तथा PW2 ब्रजेन्द्र को परीक्षित कराया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में सूची 7C/1 से प्रथम सूचना रिपोर्ट, डिस्चार्ज कार्ड, चिकित्सालय का पर्चा की छाया प्रतियाँ, सूची 34C/1 से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बंगरा का पर्चा, मेडिकल कालेज झाँसी के पर्चे, मुक्ति पत्र, इलाज के पर्चे, क्रय की गयी दवाओं के बिल, सूची 57C/1 से प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा नजरी, अन्तिम रिपोर्ट, यांत्रिक परीक्षण रिपोर्ट आदि की सत्यापित प्रतियाँ तथा सूची 80C/1 से मूल विकलांगता प्रमाण पत्र आदि दाखिल किये गये।

8. इसके विपरीत विपक्षी संख्या एक, दो एवं तीन की ओर से मौखिक साक्ष्य के रुप में DW1 के रुप में साक्षी आत्माराम को परीक्षित किया गया एवं प्रलेखीय साक्ष्य में सूची 18C/1 से प्रश्नगत वाहन टैम्पो का पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा पॉलिसी, परमिट, फिटनेस, चालन अनुज्ञप्ति की छाया प्रतियाँ एवं सूची 67C/1 से अन्तिम रिपोर्ट, नक्शा नजरी, प्रश्नगत वाहन टैम्पो के परमिट, बीमा पालिसी असदि प्रपत्र दाखिल किये गये।

9. मैने उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के तर्को को विस्तारपूर्वक सुना। विपक्षी सं. दो के वि. अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि बीमित वाहन के चालक के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत नही हुआ है, दावे मे चोटो का विवरण नही है, इंजरी रिपोर्ट प्रस्तुत नही है, बीमित वाहन परिधि से बाहर ब्यापार संचालित कर रहा था, दावे व साक्ष्य मे अपंगता का कथन नही है। याची व विपक्षीगण के वि. अधिवक्ता के तर्कों के आलोक मे पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन एवं मूल्यांकन किया।

निष्कर्ष

10. **निस्तारण विवाद्यक संख्या- एक**

याचिका में वर्णित घटना के तथ्यों को साबित करने के लिए याची की ओर से स्वंय याची श्रीमती सुमित्रा देवी जो कथित घटना में आहत बताई गयी है, ने बतौर साक्षी PW1 अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में याचिका में वर्णित तथ्यों का समर्थन करते हुये कथन किया है कि दिनाँक 25.05.2017 को वह आपे में बैठकर घर सकरार से सेंदरी जा रही थी। उसके साथ चिरौंजी, चिनू व कला देवी भी थीं। घटना की तारीख वह नही बता सकती क्योंकि वह पढ़ी-लिखी नही है। घटना चार बजे की थी। एक्सीडेण्ट सकरार की पुलिया पर हुआ था। पीछे से किसी अज्ञात वाहन ने आपे में टक्कर मार दी थी जिससे कला की मौत हो गयी थी और उसे दाहिने हाथ व कन्धे में, दाहिने हाथ की कलाई में, बांये हाथ में, दोनो पैरों में फैक्चर हुये थे और पूरे शरीर में चोटें आई थीं। दांये हाथ की कलाई व पंजे में फैक्चर होने की वजह से हांथ सीधा नहीं होता है, किसी काम का नहीं रह गया है। टैम्पो वाला चालक टैम्पो को तेजी से चला रहा था, साथ मे बैठे लोगों ने साइड से धीरे चलाने के लिए कहा था लेकिन टैम्पो चालक नहीं माना। अपनी जिरह में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि आपे अपनी साइड से सावधानी पूर्वक जा रही थी, पीछे से वाहन तेजी व लापरवाही से आ रहा था, जिसमें बैठी थी, उसमे पीछे से टक्कर मार दी। पीछे वाला वाहन अगर टक्कर नहीं मारता तो घटना नहीं होती, पीछे वाले वाहन की गल्ती से दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में उसका दाहिना हांथ एवं पंजे में फैक्चर हो जाने के कारण हांथ अब सीधा नहीं होता है, किसी काम का नहीं रह गया है और याची हमेशा के लिए स्थाई विकलांग हो गयी है और पूर्व की भांति अपना काम नहीं कर पाती है। पत्रावली पर चिकित्सालय मुक्ति पत्र मूल प्रति 38C1 के अनुसार बांयी अग्रबाहु व मध्यमा मे कंपाउण्ड़ फ्रैक्चर है। पैर मे फटा घाव व दाहिने की उंगली मे चोट है।

घटना के चक्षुदर्शी बताये गये साक्षी बृजेन्द्र PW2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ट्रक के चालक द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाते हुये आपे में पीछे से टक्कर मारना बताया है साथ ही आपे चालक की भी तेजी व लापरवाही बताई है। ट्रक की टक्कर से आपे पलट जाने से सुमित्रा को चोटें आना बताया है। प्रतिपरीक्षा मे इस साक्षी ने बगैर समन के सुमित्रा के कहने पर गवाही देने आना बताया है और सुमित्रा के गांव की ही निवासी बताया है। मेरे विचार से मात्र याची के गांव का निवासी होने व याचि के कहने पर गवाही देने आने के कारण ही PW2 का साक्ष्य अविश्वसनीय नही हो जाता है। प्रतिपरीक्षा मे PW2 के दुर्घटना स्थल पर उपस्थित न होने का कोई आधार स्पष्ट नही हुआ है। विपक्षी साक्षी आत्माराम DW1 के साक्ष्य से दुर्घटना का समर्थन होता है।

11. अपने कथनों को पुष्ट करने हेतु याची की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में दाखिल दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्यापित प्रति 58C/1/2-58C1/4 के अवलोकन से विदित होता है कि बगैर किसी विलंब के दुर्घटना के डेढ़ घंटे के अंदर ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट मे भी अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारने से कला देवी की मृत्यु होने तथा सुमित्रा व अन्य को गंभीर चोटें आने का कथन किया गया है। आरोप पत्र की सत्यापित प्रति 60C1/2-60C1/2 के अनुसार अज्ञात वाहन व उसके चालक का पता न चल पाने के कारण अंतिम आख्या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध दुर्घटना स्थल की नक्शा-नजरी मे भी अज्ञात वाहन द्वारा आपे मे पीछे से टक्कर मारने का उल्लेख है जो कि निम्नवत है-

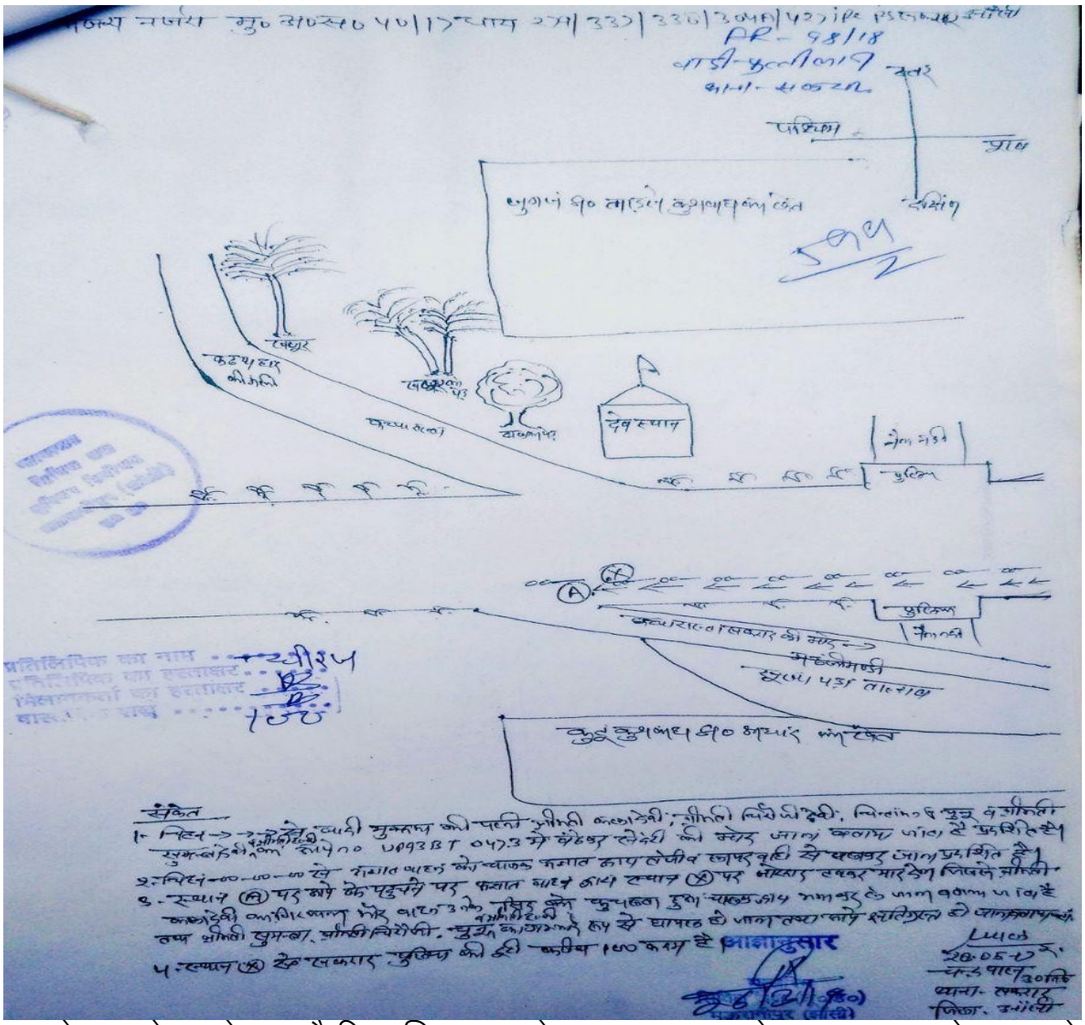

उक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि कथित घटना के समय प्रश्नगत आपे का चालक अपने वाहन को अपनी साइड पर चलाते हुये अपने गन्तव्य की ओर जाते हुये व पीछे से तेजी व लापरवाही से आते हुये अज्ञात वाहन द्वारा प्रश्नगत आपे में टक्कर मारकर मौके से भाग जाना दर्शित किया गया है।

12. उपरोक्त विश्लेषण से यह तथ्य पूर्णतः साबित है कि दिनाँक 25.05.2017 को जब याची अन्य लोगों के साथ टैम्पो संख्या UP93BT0473 में बैठकर सकरार से सेंदरी की ओर जा रही थी तभी सकरार पुलिया के पास किसी अज्ञात वाहन के चालक ने अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर टैम्पो में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे याची को गम्भीर चोटें आई और उक्त अज्ञात वाहन को लेकर उसका चालक मौके से भाग गया जिसका कोई पता नहीं चल सका। तदनुसार विवाद्यक संख्या-एक निर्णीत किया जाता है।

13. **<u>निस्तारण विवाद्यक संख्या- दो</u>**

पत्रावली पर उपलब्ध टेम्पो/आपे सं. UP93BT0473 के चालक आत्माराम के अनुज्ञा पत्र का.सं. 23C/1 के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त चालक अनुज्ञा पत्र दिनाँक

12.07.2011 को निर्गत किया गया है तथा दिनाँक 15.01.2018 तक ट्रांसपोर्ट एवं दिनाँक 15.02.2030 तक नान ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लिए वैध एवं प्रभावी है। विपक्षी संख्या- दो बीमा कम्पनी की ओर से प्रश्नगत वाहन के चालक की चालन अनुज्ञप्ति के संबंध में कोई खण्ड़न प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। अतः स्पष्ट है कि कथित घटना के दिनाँक 25.05.2017 को प्रश्नगत वाहन के चालक के पास उक्त वाहन को चलाने का वैध लाइसेंस था। तदनुसार विवाद्यक संख्या- दो निर्णीत किया जाता है।

14. **<u>निस्तारण विवाद्यक संख्या- तीन</u>**

विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत प्रश्नगत वाहन टैम्पो की बीमा पालिसी का.सं. 20C/1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त बीमा पालिसी दिनाँक 16.07.2016 से 15.07.2017 तक वैध एवं प्रभावी है। उक्त वाहन विपक्षी संख्या- दो बीमा कम्पनी से विधिवत रूप से बीमित था। विपक्षी संख्या- दो बीमा कम्पनी की ओर से प्रश्नगत वाहन के बीमा व अन्य प्रपत्रों की वैधता के संबंध में कोई खण्ड़न प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। यदि यह मान लिया जाय कि बीमित वाहन परिधि से बाहर ब्यापार संचालित कर रहा था तो यह पॉलिसी का मौलिक भंग नही है क्योंकि यह दुर्घटना परमिट की शर्तों के भंग के कारण नही हुई है। तदनुसार विवाद्यक संख्या तीन निर्णीत किये जाते हैं।

15. **<u>निस्तारण विवाद्यक संख्या- चार</u>**

यह विवाद्यक इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या याची कोई प्रतिकर की धनराशि प्राप्त करने की अधिकारी है, यदि हां तो कितनी व किससे ? विवाद्यक संख्या- एक की विवेचना से यह तथ्य साबित हो चुका हैं कि दिनाँक 25.05.2017 को जब याची अन्य लोगों के साथ टैम्पो संख्या UP93BT0473 में बैठकर सकरार से सेंदरी की ओर जा रही थी तभी सकरार पुलिया के पास किसी अज्ञात वाहन के चालक ने अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर टैम्पो में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी जिससे याची को गम्भीर चोटें आईं। यद्यपि वर्तमान मामले में साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि कथित घटना किसी अज्ञात वाहन के चालक द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर प्रश्नगत वाहन आपे में पीछे से टक्कर मार दिये जाने के कारण घटित हुई है परन्तु मामले में याची प्रश्नगत वाहन आपे में बैठकर यात्रा कर रही थी। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163A मे याची को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह उस वाहन जिसमे वह बैठी थी के स्वामी/चालक/बीमा कम्पनी से प्रतिकर की मांग कर सकती है। चूंकि मामले में यह स्पष्ट हो चुका है कि कथित घटना के दिनाँक एवं समय पर प्रश्नगत वाहन आपे विपक्षी संख्या दो के यहां विधिवत बीमित था। अतः प्रस्तुत प्रकरण में क्षतिपूर्ति अदायगी का दायित्व विपक्षी संख्या दो बीमा कम्पनी पर है।

16. अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि याची विपक्षी संख्या दो बीमा कम्पनी से कितनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की अधिकारी हैं ? याचिका में याची ने कथित घटना के समय स्वंय को दैनिक मजदूर होना बताते हुये प्रतिमाह ₹3,000 आय अर्जित करना बताया है। ग्रामीण महिला चाहे मजदूर हो या गृहणी प्रतिदिन ₹100 आय का योगदान अपने परिवार के लिए अवश्य करती है।

17. याचिका में याची ने कथित घटना के समय अपनी आयु 45 वर्ष दर्शित की है तथा अपनी साक्ष्य में भी अपनी आयु 45 वर्ष होना बताया है किंतु पत्रावली पर उपलब्ध याची के विकलांगता प्रमाण पत्र में याची की जन्म तिथि 01.01.1955 अंकित है, जिसके अनुसार दुर्घटना के समय याची की आयु लगभग 64 होती है। अत: मै इस अभिमत का हूँ कि दुर्घटना के समय याची की आयु 64 वर्ष थी और 5 का गुणक प्रयोज्य है।

18. याची मुख्य परीक्षा मे कथन किया है कि इस दुर्घटना में उसका दाहिना हांथ एवं पंजे में फैक्चर हो जाने के कारण हांथ अब सीधा नहीं होता है, किसी काम का नहीं रह गया है और याची हमेशा के लिए स्थाई विकलांग हो गयी है और पूर्व की भांति अपना काम नहीं कर पाती है। अतः याची को भविष्य की हानि के मद में अतिरिक्त प्रतिकर दिलाया जाये। अपने कथन के समर्थन में याची की ओर से सूची से विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके विरुद्व विपक्षीगण की ओर से कोई खण्ड़न प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त विकलांगता प्रमाण पत्र 81C/1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त में याची के शरीर में Wrist drop के कारण 20% स्थायी विकलांगता दर्शित की गयी है। याची की ओर से सूची से दाखिल चिकित्सीय पर्चे, जांच रिपोर्ट, चिकित्सालय मुक्ति पत्र, क्रय की गयी दवाओं के बिल आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि याची कथित घटना की तिथि 25.05.2017 से 11.06.2017 तक मेडिकल कालेज, झाँसी में इलाजरत रही। Wrist drop का कारण radial nerve मे नुकसान का हो जाना है जिससे कलाई को चलाने वाली muscles को संकेत नहीं पहँच पाता। Radial nerve मे नुकसान के कई कारण हो सकते है जैसे nerve का दब जाना, कहीं बांह में आयी चोट के कारण ट्रामा आदि। याची के चिकित्सीय प्रपत्रो से स्पष्ट होता है कि दांये हाथ मे भी चोट आयी थी। विपक्षीगण/ बीमा कम्पनी की ओर से ऐसी कोई अन्वेषण आख्या या साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि Wrist drop का दुर्घटना से इतर कोई कारण रहा हो। अतः मेरे विचार से याची दुर्घटना के कारण ही 20% स्थायी रूप से विकलांग हो गयी है। याची की ओर से सूची 34C/1 से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,बंगरा एवं मेडिकल कालेज,झाँसी द्वारा निर्गत इलाज के

पर्चे, डिस्चार्ज कार्ड, जांच रिपोर्ट, रसीदे तथा इलाज हेतु क्रय की गयी दवाओं के लगभग ₹10,276 के बिल दाखिल किये गये हैं, जिनके खण्डन में विपक्षीगण की ओर से कोई साक्ष्य अथवा सत्यापन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः उक्त राशि के बिलों की राशि को विश्वसनीय मानते हुये क्रय की गयी दवाओं के बिलों की राशि ₹10,276/ प्रतिकर के रूप में दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः धारा 163A व द्वितीय अनुसूची मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की निम्न प्रकार गणना की जाती है:-

वार्षिक आय= आय प्रतिदिन x माह के दिन x वर्ष के माह	100	30	12	36000
भविष्य प्रत्याशा (प्रतिशत में)			0	0
गुण्य				36000
गुणक			5	180000
स्थायी अपंगता (प्रतिशत में) पर क्षति			20	36000
मानसिक कष्ट के मद मे			5000	41000
इलाज पर खर्च			10276	51276
कुल क्षतिपूर्ति				**51276**

19. उक्त के अतिरिक्त धारा 163A व द्वितीय अनुसूची मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार के आलोक में सम्पूर्ण प्रतिकर की धनराशि पर याचिका योजित किये जाने की तिथि से वास्तविक भुगतानकी तिथि तक 7% की दर से साधारण वार्षिक ब्याज स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा। तदनुसार विवाद्यक संख्या चार निर्णीत किया जाता है।

आदेश

याची की याचिका विपक्षीगण 1 व 3 के विरुद्ध संयुक्त एवं प्रथक-प्रथक रूप से ₹51,276 प्रतिकर की धनराशि एवं उस पर 7% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका योजित किये जाने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि के लिए आंशिक रूप से अनुज्ञात की जाती है जिसकी प्रतिपूर्ति का दायित्व विपक्षी संख्या दो का है। विपक्षी संख्या दो ~~नेशनल~~ भारती अक्सा जनरल इश्योरेंस कम्पनी लिमि. को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय के दिनाँक से 30 दिन के अन्दर क्षतिपूर्तिकर्ता के रुप में प्रतिकर की समस्त धनराशि मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के केनरा बैंक के खाता संख्या 92352010008560 (IFSC:CNRB0019235) में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित करे।

याची को प्राप्त होने वाली प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि न्यायाधिकरण के आदेश पर याची के बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से स्थानान्तरित की जायेगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार किया जाये।

दिनाँक 22.03.2021

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण,
झाँसी

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनाँकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनाँक 22.03.2021

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण,
झाँसी

दि.17.6.21 के आदेशानुसार इस निर्णय के आदेश भाग मे टंकण त्रुटि के कारण नेशनल के स्थान पर भारती अक्सा जनरल टंकित किया गया।

पीठासीन अधिकारी
मो.दु.प्रतिकर न्यायाधिकरण, झाँसी
17.06.2021